कार्यालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कटिहार

–:: सैरात बन्दोवस्ती हेतु आम सूचना ::–

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कटिहार अनुमंडलान्तर्गत प्राणपुर अंचल में पड़नेवाले " सहजा राजस्व हाट " सैरात वित्तीय वर्ष 2018–19 की अप्रैल श्रेणी के लिए बंदोवस्ती दिनांक 23.03.2018 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में खुली डाक द्वारा की जाएगी। किसी अपरिहार्य कारणवश उक्त तिथि को डाक नही होने की स्थिति में दिनांक 27.03.2018 को एवं उक्त तिथि को भी डाक नहीं हो सकने की स्थिति में दिनांक 30.03.2018 को निर्धारित समय एवं स्थान पर डाक द्वारा बंदोवस्ती की जायेगी।

क्र०	कार्यालय का नाम	अंचल का नाम	सैरात का नाम	निर्धारित सुरक्षित जमा राशि	जमानत की राशि (10%) (Round Figure) में	डाक स्थल का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का कार्यालय, कटिहार	प्राणपुर	सहजा राजस्व हाट "	33195.00	3319.00	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के वेश्म में।

डाक की शर्ते

1. डाक प्रारंभ होने के पूर्व सुरक्षित जमा राशि का 10 प्रतिशत राशि अंचलाधिकारी, प्राणपुर के नाम से बैंक ड्राफ्ट के रूप में अंचल कार्यालय के नजारत में जमा करना होगा।
2. बन्दोवस्ती लेनेवाले इच्छुक व्यक्ति निर्धारित स्थान, तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर डाक में भाग ले सकते है। डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को आचरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. डाक समाप्ति के पश्चात् सफल डाकवक्ता को उच्चतम डाक की राशि की आधी राशि (50 प्रतिशत) एवं निर्धारित मुद्रांक शुल्क/निबंधन शुल्क (बंदोवस्त राशि का 5 प्रतिशत निबंधन शुल्क एवं 5 प्रतिशत स्टॉम्प शुल्क) की राशि यानि बन्दोवस्त राशि का 60 प्रतिशत अंचलाधिकारी, बरारी के बैंक खाते में **Account Transfer/RTGS/NEFT** के माध्यम से दो दिनों के अन्दर जमा करना होगा अन्यथा अग्रधन की राशि जप्त कर ली जाएगी।
4. यदि पूर्व के बन्दोवस्तदार (लेसी/उनके परिवार के सदस्य डाक में भाग लेते हैं तो पूर्व का बकाया रहित प्रमाण–पत्र अंचलाधिकारी, प्राणपुर से प्राप्त कर डाक के समय समर्पित करना होगा।
5. यदि उच्चतम डाकवक्ता द्वारा बोली गयी राशि पर बन्दोवस्ती नहीं ली जाती है तो उनके अग्रधन के रूप में जमा की गई राशि जप्त कर ली जाएगी।
6. " एकरारनामा " करने के पश्चात ही सैरात से हाल वसूली का अधिकार उच्चतम डाकवक्ता को दिया जायेगा।
7. हाट की जमीन को किसी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त रखने तथा हाट स्थल की साफ–सफाई एवं पानी की सारी व्यवस्था हाट लेसी को ही अपने व्यय पर करना होगा और हाट में किसी प्रकार की राजनीति सभा नहीं की जायेगी।
8. सैरात की जमीन पर किसी प्रकार के स्थायी संरचना का निर्माण नहीं किया जायेगा। इसे सुनिश्चित करना लेसी की जिम्मेवारी होगी।
9. हाट ग्राउन्ड रेन्ट की वसूली निर्धारित दर पर ही करनी होगी तथा प्रत्येक वसूली स्वयं द्वारा छपाई गई बट्टी रसीद उन्हें निर्गत करनी होगी। जिसका व्यय वे स्वयं वहन करेंगे। ग्राउन्ड रेन्ट बोर्ड तालिका या अन्य सूचना चापाकल, हाई ग्रेड वृक्षों की सुरक्षा हाट लेसी को ही करनी होगी।
10. बाढ़, सुखा एवं अन्य प्राकृतिक विपदाओं पर हाट नहीं लगने पर बंदोवस्ती की राशि में किसी प्रकार का छूट अनुमान्य नहीं होगा।

11. किसी भी हालत में किसी भी सम्प्रदाय द्वारा हाट परिसर में अस्थायी/स्थाई धार्मिक या मजहबी निर्माण होने नहीं दिया जायेगा। इसकी जबावदेही बन्दोवस्तदार की होगी।
12. उपर्युक्त वर्णित सैरात की बन्दोवस्ती बिना कारण बताये स्थगित/निलंबित/रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
13. हाट की बंदोवस्ती में सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर निबंधित सहयोग समिति को प्राथमिकता दी जायेगी। वशर्ते कि उनके जिम्मे पूर्व का बकाया न हों।
14. विशेष जानकारी के लिए जिला राजस्व प्रशाखा, कटिहार/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, के कार्यालय, कटिहार/सभी अंचलाधिकारी (कटिहार अनुमंडल) के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं एवं कटिहार जिले के बेबसाईट www.Katihar.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

ह०/–

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
कटिहार।

ज्ञापांक 195 /सा०, कटिहार, दिनांक 15वीं, मार्च, 2018 ई०।

प्रतिलिपि : जिला पदाधिकारी, कटिहार को सादर सूचनार्थ।
प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, कटिहार को सादर सूचनार्थ।
प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि : जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि जनसम्पर्क निदेशालय से सम्पर्क कर अविलम्ब दो हिन्दी समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि : सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी (कटिहार अनुमंडल) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि सैरात की डाक की सूचना पंचायत/पंचायत समिति की बैठक में देना सुनिश्चित करेंगे ताकि आमलोगो को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही सैरात के डाक हेतु निर्गत आम सूचना की एक प्रति प्रखंड प्रमुख तथा मुखिया को हस्तगत करायेंगे, ताकि उनलोगो के माध्यम से भी समुचित प्रचार–प्रसार हो सके।

प्रतिलिपि : अंचलाधिकारी, प्राणपुर को सूचनार्थ एवं निदेशित है कि डाक के पश्चात उच्चतम डाकवक्ताओं से बन्दोवस्ती राशि (मुद्रण एवं स्टाम्प शुल्क सहित) Account Transfer/RTGS/NEFT के माध्यम से दो दिनों के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही बन्दोवस्ती सूचना संबंधित थाना एवं अन्य माध्यमों से विस्तृत प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि निर्धारित तिथि को अपने स्तर से डाक वक्ताओं को लेकर बंदोवस्ती के समय नाजीर रसीद के साथ उपस्थित रहने हेतु अंचल निरीक्षक को निदेशित करने की कृपा करेंगे तथा आम सूचना की एक प्रति अपने कार्यालय के सूचनापट्ट पर प्रकाशित करवाने की कृपा करेंगे।

प्रतिलिपि : आई०टी० प्रबंधक, एन०आई०सी०, कटिहार को सूचनार्थ। निदेश है कि आम सूचना की प्रति जिले के बेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

15/03/18
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
कटिहार।